

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं विस्तार हेतु ₹ 59.62 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 59,62,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 2 से 5

जिला चिकित्सालय सुकमा के लिए कार्यालयीन फर्नीचर क्रय के लिए ₹ 50.00 लाख, गैर कार्यालयीन फर्नीचर क्रय के लिए ₹ 130.00 लाख, कपड़े एवं बिस्तर क्रय के लिए ₹ 20.00 लाख एवं मशीन उपकरण क्रय के लिए ₹ 200.00 लाख कुल ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6 एवं 7

राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत ₹ 422.28 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,22,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8 से 10

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा के लिए स्थापना अनुदान मद में ₹ 50.00 लाख एवं कार्यालयीन फर्नीचर एवं गैरकार्यालयीन फर्नीचर हेतु ₹ 100.00 लाख कुल ₹ 150.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 11

जिला दन्तेवाड़ा के बड़ेबचेली आवर्धन जल प्रदाय योजना की लागत ₹ 365.71 लाख हेतु इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12

जिला बलरामपुर आवर्धन जल प्रदाय योजना की अनुमानित लागत ₹ 806.85 लाख का तथा हेतु इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 13

एनएमएसए योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में स्वाइल हैल्थ मैनेजमेंट, स्वाइल हैल्थ कार्ड एवं परम्परागत कृषि विकास उपयोजना के रूप में सम्मिलित की गई है जिस पर ₹ 25.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 14

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-स्वाइल हैल्थ मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत मशीन उपकरण पर ₹ 289.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 15

भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप नवीन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 1900.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 16

अल्पवर्षा से प्रभावित जिलों के कृषकों की फसलों में सिंचाई हेतु डीजल पंपों पर अनुदान पर ₹ 2.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 3275

मद क्रमांक 17

निःशुल्क लैपटॉप एवं टेबलेट के प्रदाय हेतु ₹ 74.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 74,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 18 से 20

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय सरगुजा में बर्न एवं ट्रामा केयर सेंटर की स्थापना हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 21 से 23

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय जगदलपुर में बर्न एवं ट्रामा केयर सेंटर की स्थापना हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 24

पूंजीगत मद में स्वीकृत ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों के भुगतान हेतु ₹ 175.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 25

नाबार्ड के ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत निम्नलिखित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाओं को अपरीक्षित नवीन मद में शामिल किया गया है :-

1. जिला दन्तेवाड़ा, विकासखण्ड गीदम के 9 ग्रामों की छिन्दनार समूह जल प्रदाय योजना की अनुमानित लागत ₹ 1835.36 लाख का व्यय संभावित है । इस हेतु ₹ 100 प्रतीक प्रावधान किया गया है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

2. जिला राजनांदगांव में शिवनाथ नदी पर मोहरा एनीकट पर आधारित विकासखण्ड राजनांदगांव के 23 ग्रामों की समूह जल प्रदाय योजना की अनुमानित लागत ₹ 2075.33 लाख का व्यय संभावित है । इस हेतु ₹ 100 प्रतीक प्रावधान किया गया है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

3. जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड चौकी के आर्सेनिक से प्रभावित 18 ग्रामों तथा तथा जिला बस्तर के विकासखण्ड बस्तर के कोसारटेड़ा की समूह जल प्रदाय योजना हेतु ₹ 1500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹ 15,00,00,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 26

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनान्तर्गत आदिवासी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह हेतु ₹ 722.77 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,22,77,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 27 से 28

कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण के लिए ₹ 2100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 21,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।